क्रम-संख्या--609

रजि० नं० एल. डब्ल्./एन. पी. 561
लाइसेन्स नं० डब्ल्० पी०—41
लाइसेन्स टु पोस्ट एट कन्सेशनल रेट

# सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

## उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

## असाधारण

## विधायी परिशिष्ट

भाग—1, खण्ड (क)

(उत्तर प्रदेश अधिनियम)

लखनऊ, सोमवार, 20 मार्च, 1989

फाल्गुन 29, 1910 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश सरकार

विधायी अनुभाग—1

संख्या 530/सत्रह—वि—1—1 (क) 6-1989

लखनऊ, 20 मार्च, 1989

अधिसूचना

विविध

"भारत का संविधान" के अनुच्छेद 201 के अधीन राष्ट्रपति महोदय ने उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित मोटर यान (उत्तर प्रदेश संशोधन) अधिनियम, 1989 पर दिनांक 20 मार्च, 1989 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 8 सन् 1989 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

### मोटर यान (उत्तर प्रदेश संशोधन) अधिनियम, 1989

(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 8 सन् 1989)

[जैसा उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ]

मोटर यान अधिनियम, 1939 का उत्तर प्रदेश में उसकी प्रवृत्ति के सम्बन्ध में अग्रतर संशोधन करने के लिए

अधिनियम

भारत गणराज्य के चालीसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :—

संक्षिप्त नाम; विस्तार और प्रारम्भ

1—(1) यह अधिनियम मोटर यान (उत्तर प्रदेश संशोधन) अधिनियम, 1989 कहा जायगा।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश में होगा।

(3) यह 7 जनवरी, 1989 को प्रवृत्त हुआ समझा जायगा।

अधिनियम संख्या 4 सन् 1939 की धारा 68-च का संशोधन

2—मोटर यान अधिनियम, 1939 की, जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है, धारा 68-च में, उपधारा (1-ङ) के पश्चात्, निम्नलिखित उपधारा बढ़ा दी जायगी, अर्थात् —

"(1-च) राज्य परिवहन उपक्रम के लिए वह विधिपूर्ण होगा कि वह मंजिली गाड़ी के रूप में, उसके निमित्त उपधारा (1) के अधीन ऐसे उपक्रम को जारी किये गये किसी परमिट के अधीन, किसी यान को किसी मार्ग पर चलाये, जिसे उपक्रम द्वारा उक्त यान के उपयोगार्थ ऐसे यान के स्वामी और उपक्रम के मध्य की गयी किसी व्यवस्था के अधीन उस यान के स्वामी ने ऐसे उपक्रम के हवाले और उसके स्वाधिकार और नियंत्रण के अधीन कर दिया है।"

निरसन और अपवाद

3—(1) मोटर यान (उत्तर प्रदेश संशोधन) अध्यादेश, 1989 एतद्द्वारा निरसित किया जाता है। उत्तर अध्या संख्या सन् 1

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उपधारा (1) में निर्दिष्ट अध्यादेश द्वारा यथा-संशोधित मूल अधिनियम के अधीन कृत कोई कार्य या कार्यवाही इस अधिनियम द्वारा यथा-संशोधित मूल अधिनियम के तत्समान उपबन्धों के अधीन कृत कार्य या कार्यवाही समझी जायगी मानो इस अधिनियम के उपबन्ध सभी सारभूत समय पर प्रवृत्त थे।

आज्ञा से,
नारायण दास,
सचिव।

---

No. 530(2)/XVII-V-1—1(KA)6-1989

*Dated Lucknow, March 20, 1989*

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Motor Yan (Uttar Pradesh Sanshodhan) Adhiniyam, 1989 (Uttar Pradesh Adhiniyam Sankhya 8 of 1989) as passed by the Uttar Pradesh Legislature and assented to by the President on March 20, 1989.

## THE MOTOR VEHICLES (UTTAR PRADESH AMENDMENT) ACT, 1989

[U. P. Act no. 8 of 1989]

*(As passed by the Uttar Pradesh Legislature)*

AN

ACT

*further to amend the Motor Vehicles Act, 1939 in its application to Uttar Pradesh*

IT IS HEREBY enacted in the Fortieth Year of the Republic of India as follows :—

Short title, extent and commencement

1. (1) This Act may be called the Motor Vehicles (Uttar Pradesh Amendment) Act, 1989.

(2) It extends to the whole of Uttar Pradesh.

(3) It shall be deemed to have come into force on January 7, 1989.

Amendment of section 68-F of Act no. 4 of 1939

2. In section 68-F of the Motor Vehicles Act, 1939, hereinafter referred to as the principal Act, *after* sub-section (1-E), the following sub-section shall be *inserted*, namely :—

"(1-F) It shall be lawful for a State Transport undertaking to operate on any route as stage carriage, under any permit issued therefor to such undertaking under sub-section (1), any vehicle placed at the disposal and under the domain and control of such undertaking by the owner of such vehicle under an arrangement entered into between such owner and undertaking for the use of the said vehicle by the undertaking."

U.P. Ordinance no. 2 of 1989

3. (1) The Motor Vehicles (Uttar Pradesh Amendment) Ordinance, 1989, is hereby repealed. Repeal and saving

(2) Notwithstanding such repeal, anything done or any action taken under the provisions of the principal Act, as amended by the Ordinance referred to in sub-section (1), shall be deemed to have been done or taken under the corresponding provisions of the principal Act, as amended by this Act, as if the provisions of this Act were in force at all material times.

By order,
NARAYAN DAS,
*Sachiv.*

पो०एस०यू०पी०--ए० पी० 217 सा० (विधा०)--(3899)--1989--850 (मेक०)।